


62

न्यायालय श्री मान पीठासीन अधिकारी राजस्व मंडल कैम्प रोवा ॥ म०प्र०॥



C.F. Rs. 20/-

जगजलाल पटेल तनय लक्ष्मि पटेल निवासी ग्राम अतरैला, तहसील सिहावल,  
जिला सीधी म०प्र०

निगरानी कर्ता

बनाम

- 1- कैमली पत्नी बाबू पटेल,
- 2- लक्ष्मि पटेल तनय शम्भू पटेल,

दोनों निवासी ग्राम अतरैला, तहसील सिहावल, जिला - सीधी म०प्र०

गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान  
अपर कलेक्टर सीधी जिला - सीधी म०प्र० के  
प्र०क्र० 220/निगरानी /2011-2012 में  
पारित आदेश दिनांक 26-10-12,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराश  
संहिता 1959 ई०।

मान्यवर,

आधार निगरानी के निम्न है :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानी कर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया

137  
20/3/13

P-2456-II/13

अधिवक्ता श्री जी. डी. श्रीवास्तव  
द्वारा प्रस्तुत  
रीति, दिनांक 20-3-13

क्लक आफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल, म०प्र०  
खानियर

22.6.13

Ra


63

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/2456/दो/13 जिला सीधी

जग्यलाल / केमली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-06-18	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक के अधिवक्ता श्री एम पी यादव उपस्थित। प्रकरण में उनके तर्क सुने गये। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । निगरानी में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं हाने से इसी स्तर पर अग्रहय की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जावे।</p>	<p> 21/6/18 सदस्य</p>

